संचिका सं०– 07 / न०प्र०नि० / PMAY-Fund / 09 / 2015..........11

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

केन्द्रांश
प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रेषक,
अरूण कुमार सिंह,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,
महालेखाकार (ले० एवं हक०),
पो०– हिनू, राँची।

द्वारा:– आतंरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची / दिनांक:– 23/04/18

विषय:– केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य के 36 नगर निकायों में चतुर्थ घटक अंतर्गत स्वीकृत "लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण" (BLC) परियोजनाओं हेतु प्राप्त केन्द्रांश राशि की प्रथम किस्त नगरीय प्रशासन निदेशालय (DMA) को योजना के केन्द्रांश मद में उपबंधित राशि से कुल रु० 61,68,65,000/– (इकसठ करोड़ अढ़सठ लाख पैंसठ हजार रूपये) मात्र अनुदान राशि के आवंटन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा राज्य के 36 निकायों में चतुर्थ घटक अंतर्गत स्वीकृत कुल 16,772 DUs के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार की 29वीं CSMC बैठक में प्रदान करते हुए केन्द्रांश राशि की प्रथम किस्त पत्रांक–N-11012/25/2018-HFA-III-UD(C.N.-9039782) दिनांक–30.03.2018 द्वारा कुल रु० 59,83,20,000/– (उनसठ करोड़ तिरासी लाख बीस हजार रूपये) मात्र आवंटित किया गया है।

इसी प्रकार पत्रांक–N-11012/37/2018-HFA-III-UD(C.N.-9040090) दिनांक–30.03.2018 द्वारा कुल रु० 85,60,20,000/– मात्र आवंटित किया गया था जिसमें से रु० 83,74,75,000/– रूपये की निकासी विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०– 382 दिनांक: 31.03.2018 द्वारा की जा चुकी है एवं रु० 1,85,45,000/– (एक करोड़ पचासी लाख पैंतालीस हजार रूपये) मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2017–18 में बजटीय प्रावधान कम होने के कारण नहीं की जा सकी।

2. वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त प्रयोजन हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना के केन्द्रांश मद के TSP एवं OSP प्रक्षेत्र में उपबंधित राशि से इस योजना के लिए नामित नोडल एजेन्सी नगरीय प्रशासन निदेशालय (DMA), नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को योजना कार्यान्वयन हेतु क्रमशः रू० रु० 59,83,20,000/– एवं रु० 1,85,45,000/– यानि कुल रु० 61,68,65,000/– (इकसठ करोड़ अढ़सठ लाख पैंसठ हजार रूपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :–

अवयव	प्रक्षेत्रवार केन्द्रांश राशि		कुल आवंटित राशि
	TSP	OSP	
PMAY – लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण	31,68,65,000/–	30,00,00,000/–	61,68,65,000/–

3. उक्त स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत केन्द्रांश मद के TSP एवं OSP प्रक्षेत्र से निम्नांकित बजट शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय होगी :–

प्रक्षेत्र	बजट शीर्ष	स्वीकृत राशि
TSP	बजट माँग सं0–48–नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) –मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास– उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य–लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना–उपशीर्ष–89–प्रधानमंत्री आवास योजना (पी०एम०ए०वाई०) हेतु अनुदान (केन्द्रांश) –विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) कोड– 48C221780796890679	31,68,65,000/–
OSP	बजट माँग सं0–48–नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) –मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास– उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य–लघुशीर्ष–191–नगर निगम को सहायता–उपशीर्ष–89–प्रधानमंत्री आवास योजना (पी०एम०ए०वाई०) हेतु अनुदान (केन्द्रांश)–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) कोड–48C221780191890679	30,00,00,000/–

4. उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगरीय प्रशासन निदेशालय, होंगे जिनके द्वारा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा राँची से की जायेगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को यह निदेशित किया जाता है कि स्वीकृत राशि की निकासी इसी वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से करते हुए राशि का संधारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या:– वित्त–19/वित्त नियंत्रण–3006/15–2917/वि० दिनांक: 30.09.2016 के आलोक में विभाग द्वारा निर्गत आदेश संख्या–02 दिनांक:– 03.01.2017 के द्वारा PMAY योजना अंतर्गत खोले गए बैंक खाता जो कि PFMS में पंजीकृत है, में राशि हस्तांतरण करना सुनिश्चित करेंगे। PMAY की बैंक से संबंधित विवरणी निम्नवत है:–

Name of Bank	IFSC Code	A/c Title	A/c No.
Bank Of India, Clubside Branch	BKID0004902	Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY)	490210110014358

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि को निकायों के मांग पत्र एवं निदेशालय से निर्गत आदेश के अनुरूप PFMS के माध्यम से आवंटित करना सुनिश्चित करेंगे।

7. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों (पत्रांक–2561 सहित) के आलोक में की जायेगी। झारखण्ड कोषांगार संहिता 2016 का अनुपालन किया जाय।

8. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत आवंटित राशि चयनित लाभुकों के अनुरूप TSP/OSP/SCSP प्रक्षेत्र के आधार पर आवंटित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि झारखण्ड राज्य के अंतर्गत TSP, OSP एवं SCSP क्षेत्र का चिन्हितिकरण निकाय के आधार पर है। इस क्रम में भारत सरकार से आवंटित राशि के दिशानिर्देश में संशोधन हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–N-11011/54/2015-JHFA-III(FTS 14467), दिनांक: 15.02.2016 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि – "As regards adoption of State's financial norms in distribution of funds among different ULBs for the approved projects, this Ministry has no objection provided funds are utilized for implementation of the project as per extant provisions of GFR." उक्त के क्रम में संदर्भित आवंटन योजना मद में TSP एवं OSP प्रक्षेत्र में प्राप्त बजट उपबंध के आलोक में किया गया है।

9. प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 की उपयोगिता प्रमाण पत्र विवरणी निम्नवत् है:–

वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त राशि	व्यय की गई राशि	उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि	पत्रांक/दिनांक
रु0 24291.70 लाख	रु0 24291.70 लाख	रु0 24291.70 लाख	2675/14.12.2017

10. संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के प्रशासी पदाधिकारी को यह निदेशित किया जाता है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम के आलोक में बजट संबंधी धाराओं के अन्तर्गत राशि सम्मिलित करने के उपरांत ही नियमानुसार उक्त राशि का व्यय करेंगे।

11. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों को देखने एवं जाँच करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

13 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या–301, दिनांक–11.03.2015 के आलोक में उक्त राशि आवंटित किये जाने के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री से अनुमोदन प्राप्त है।

14. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–759/वि० दि०–20.03.2015 के कंडिका–5 के अनुसार उल्लेखित स्वीकृत राशि का प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि स्वीकृत राशि की निकासी उल्लेखित वित्त विभागीय संकल्प के द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में की जाए।

विश्वासभाजन

20.4.18

(अरूण कुमार सिंह)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– 07/न०प्र०नि०/PMAY-Fund/09/2015.........11 राँची, दिनांक: 23/04/18

प्रतिलिपि:– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय के प्रधान आप्त सचिव/योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग/कोषागार पदाधिकारी प्रोजेक्ट भवन कोषागार धुर्वा, राँची/अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगरीय प्रशासन निदेशालय/लेखा शाखा, नगरीय प्रशासन निदेशालय/श्री कुणाल, विशेषज्ञ को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/ऑनलाईन आवंटन हेतु श्री संदीप अग्रवाल, सहायक, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.4.18

सरकार के अपर मुख्य सचिव।